मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा ग्राम–भौर्सा, तहसील व जिला–नैनीताल में गौला नदी से रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान (क्षेत्रफल 5.0 है0) की पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 27.03.2025 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 ग्राम–भौर्सा तहसील व जिला–नैनीताल में गौला नदी से रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान (क्षेत्रफल 5.0 है0) की पर्यावरण स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के क्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स (दिल्ली संस्करण) तथा हिन्दुस्तान (उत्तराखण्ड संस्करण) में दि0 25.02.2025 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतियॉ जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल, जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र हल्द्वानी, नगर निगम हल्द्वानी तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तद्क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में दिनांक 27.03.2025 को प्रातः 11:00 बजे परियोजना स्थल ग्राम–भौर्सा तहसील व जिला–नैनीताल के पास लोकसुनवाई आयोजित कि गयी। लोकसुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम हरीश चन्द्र जोशी सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल वरूणा अग्रवाल तथा अन्य उपस्थित अधिकारीगणो/कर्मचारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्क्रम में मैसर्स ईको पर्यावरण लैबोरेटरीज एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा0लि0 के पर्यावरण सलाहकार श्री भुवन जोशी द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया तथा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना ई0आ0ए0 अधिसूचना के अनुसार मुख्यतः बी1 श्रेणी के प्रोजेक्ट है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रदत्त आदेशों के क्रम में प्रोजेक्ट बी1 श्रेणी में एस0ई0आई0ए0ए0 उत्तराखण्ड द्वारा टी0ओ0आर0 जारी किया गया है। खनन कार्य ओपेनकास्ट मैन्युअल पद्वति से किया जायेगा । खनन क्षेत्र में खनन/चुगान कार्य सतह से अधिकतम 3 मीटर की गहराई अथवा भू–जल स्तर जो भी कम हो तक किया जायेगा। खनन योजना की शर्तो के अनुसार पट्टाधारक श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करेगा। परियोजना में 36 मानव श्रम की आवश्यकता है तथा परियोजना से स्थानीय लोगो को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रस्तावित खनन परियोजना में समावित पर्यावरणीय पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण,भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण कर नमूने एकत्रण किये गये है। विश्लेषण आख्यायें परिवेशीय वायु गुणवत्ता राष्टीय वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है तथा भू–जल नमूने की गुणवत्ता भारतीय मानक IS:10500 द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप है। प्रस्तावित परियोजना पर्यावरण ध्वनि का स्तर दिन और रात के समय हेतु निर्धारित सीमा में है। स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रभावों को कम करने के लिए श्रमिकों और आस–पास के लोगों को स्वास्थ सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी। प्रस्तावित परियोजना के प्रारम्भ होने से आस–पास के क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढांचें को बढावा मिलेगा। कॉपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (सी0ई0आर0) के अन्तर्गत आसपास के सार्वजनिक शौचालयों और नजदीकी सरकारी स्कूलों का रख–रखाव और सफाई सुविधायें आदि मेडिकल की सुविधा के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा, चिकित्सा शिविर प्रदूषण निगरानी, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों, पर्यावरण

जागरूकता गतिविधियॉ, पीने के पानी की सुविधा आदि का प्राविधान परियोजना में किया गया है। खनन क्षेत्र में कोई विस्थापन शामिल नहीं है, क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है तथा बताया गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना किसी भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव के बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त रेता बजरी, बोल्डर खनन/चुगान परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से उनके सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत हैः–

1. **श्री राजू पलडिया पूर्व ग्राम प्रधान** ग्राम–भौर्सा तहसील व जिला–नैनीताल–श्री पलडिया द्वारा सभी का स्वागत करते हुये कहा गया कि पिछले दस वर्षो में खनन कार्य से संबंधित सी0एस0आर0 व खनन न्यास मद का पैसा गांव में नहीं मिला है। खनन कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई बजट नहीं मिला है। गौला नदी के किनारे गंदगी होने के कारण चलने योग्य नहीं है। खनन कार्य में लगे मजदूरों हेतु शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, जिससे गांव में हैजा जैसी बीमारियों की संभावना बनी रहती है। उपरोक्त संदर्भ में मेरा सुझाव है कि सी0एस0आर0 मद के तहत वृक्षारोपण एवं शौचालयों की व्यवस्था व रख रखाव का प्राविधान प्रस्तावित खनन योजना में किया जाना चाहियें। तद्क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा पृच्छा की गयी कि आप लोगों के द्वारा खनन योजना में कितने शौचालयों की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना में चार शौचालयों की व्यवस्था एवं रख–रखाव का प्राविधान किया गया है। श्री पलडिया द्वारा कहा गया कि चार शौचालयों बहुत कम है, कम से कम 15 शौचालयों की व्यवस्था एवं शौचालयों में पानी एवं रख रखाव की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जानी चाहियें। अग्रेतर संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा कहा गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन योजना में 10 शौचालयों के निर्माण एवं शौचालयों में पानी की व्यवस्था का प्राविधान किया जाना चाहियें तथा इस संबंध में ग्राम वासियों द्वारा शिकायत की जाती है, तो शिकायत का संज्ञान लेकर कार्यवाही की जायेगी तथा प्रत्येक वर्ष गांव में गर्मी एवं बरसात के बाद स्वास्थ शिविरों का आयोजन तथा स्वास्थ जांच से संबंधित कार्य किये जाने का सुझाव दिया गया।

2. **श्री मुकेश पलडिया** ग्राम–भौर्सा तहसील व जिला–नैनीताल– श्री पलडिया द्वारा कहा गया कि स्वास्थय शिविरों का आयोजन खनन प्रारंभ होने से पूर्व एवं गर्मी का मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व अप्रैल माह में किया जाना चाहिये। स्वास्थय शिवरों के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिये। खनन कार्य में लगे मजदूरों द्वारा नदी किनारे खुले में शौच नहीं किया जाना चाहिये। तद्क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा कहा गया कि अगर खनन कार्य में लगे मजूदरों द्वारा खुले में शौच किया जायेगा तो दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। खनन कार्य से बालू व मिट्टी उडने की वजह से ग्राम वासियों को सांस से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। खनन प्रस्तावक द्वारा गांव में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर सांस से संबंधित बिमारियों की जॉच अनिवार्य रूप से की जानी चाहियें। अगर कोई बच्चा 18 वर्ष से कम है तो उसके ईलाज की जिम्मेदारी खनन प्रस्तावक की होगी। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि ई0आई0ए0 में दिये गये बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा।

संयुक्त मजिस्ट्रेट नैनीताल द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित परियोजना के सी0ई0आर0 मद में इण्टर मिडियेट स्कूलों में प्रयोगशाला के उच्चीकरण हेतु रू0 2.0 लाख के बजट का प्राविधान किया गया है तथा सुझाव दिया गया कि उपरोक्त बजट का उपयोग शिक्षा समिति एवं ग्राम प्रधान के सुझाव प्राप्त करते हुये

किया जाना चाहियें। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से जो भी सुझाव प्राप्त होंगे उनको सम्मिलित किया जायेगा।

3. **श्रीमती आनंदी देवी** ग्राम–भौर्सा तहसील व जिला–नैनीताल– श्रीमती आनंदी देवी कहा गया कि खनन कार्य से गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। नदी में बाढ़ आने से गांव में खतरे की सम्भावना बनी रहती है। हम गांव के बच्चों को लेकर कहा जायेंगे। तद्क्रम में सयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया कि खनन प्रस्तावक द्वारा बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्य किये जाने चाहियें तथा बाढ़ सुरक्षा से संबंधित मद को बढाया जाना चाहिये। परियोजना सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना से प्रभावित क्षेत्र हेतु बाढ़ सुरक्षा संबंधित कार्य का प्राविधान प्रस्तावित योजना में किया गया है।

4. **श्री धर्मेन्द्र शर्मा** ग्राम–भौर्सा तहसील व जिला–नैनीताल– श्री शर्मा द्वारा कहा गया कि बाढ़ सुरक्षा के तहत किये गये बजट का प्राविधान बहुत कम है। बाढ़ से हमारा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। गांव की सुरक्षा सर्वोपरि है, गांव का सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है। खनन वाहनों की आवाजाही के कारण धूल उडते रहती है। खनन पट्टाधारकों द्वारा सम्पर्क मार्गो में पानी की छिडकाव नहीं किया जाता है। खनन कार्य में लगे वाहनों को खनन सामग्री ढक कर ले जानी चाहिये। वाहनों की गतिसीमा अधिक होने के कारण जान माल का खतरा बना रहता है। गांव में छोटे नालों में चैकडैम तथा सुरक्षा दिवार की व्यवस्था की जानी चाहियें। तद्क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया कि पूरे खनन प्रभावित क्षेत्र का सर्वे करा कर कार्य बाढ़ सुरक्षा हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी नैनीताल को प्रस्तुत किया जायेगा। खनन प्रस्तावक मानसून ऋतु से पूर्व अनिवार्य रूप से गांव वालों के साथ बैठक किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा खनन कार्य की वजह से अगर भू–कटाव हुआ है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी खनन पट्टाधारक की होगी।

5. **श्री राम सिंह** ग्राम–भौर्सा तहसील व जिला–नैनीताल– श्री राम सिंह द्वारा सभी का स्वागत करते हुये कहा गया कि मेरी खनन क्षेत्र से संबंधित बहुत शिकायत शिकायतें है। प्रस्तावित खनन योजना में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई उपाय नहीं है। प्रदूषण से गांव में टी0बी0 जैसी संक्रामक बीमारियों के होने की सम्भावना है। खनन कार्य में लगे वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगे हुये है तथा रात के 2 बजे तक खनन वाहनों की आवाजाही क्षेत्र में होते रहती है। बाढ़ के नियंत्रण हेतु खनन क्षेत्र में सुरक्षा दीवार का प्राविधान नहीं किया गया है। खनन कार्य में लगे वाहनों के वाहन चालकों के एल्कोहॉल की जॉच की जानी चाहिये तथा क्षेत्र में बिना नंबर वाले खनन वाहनों का आवागमन होता रहता है। तद्क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया कि खनन प्रस्तावक द्वारा प्रति वर्ष 2 स्वास्थ शिविरों का आयोजन कर क्षेत्र के लोगों की सम्पूर्ण शारीरिक जॉच तथा जिसमें बच्चों की जॉच अनिवार्य होगी, का प्राविधान किया जाना चाहियें।

6. **श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डे** ग्राम–भौर्सा तहसील व जिला–नैनीताल– श्री पाण्डे द्वारा कहा गया कि खनन कार्य से गांव में रहना दूभर हो गया है। खनन पट्टाधारकों द्वारा सम्पर्क मार्गो में पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है। पानी के टेंकरों द्वारा एक क्षेत्र में ही छिड़काव किया जा रहा है, धूल से सभी पेड़ पौधों तथा फसल को नूकसान हो रहा है। उपरोक्त संदर्भ में सुझाव है कि क्षेत्र में फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया जाना चाहियें तथा पानी के छिड़काव हेतु वाहनों की संख्या में बढोत्तरी की जानी चाहियें। खनन के मद का बजट ग्राम पंचायत व वन पंचायत को दिया जाना चाहियें। जिससे क्षेत्र के लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। तद्क्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया कि गांव वालों का सुझाव है, वृक्षारोपण का बजट प्रभागीय वनाधिकारी मद में न कर स्थानीय सरपंच को दिया जाना चाहियें। जिससे उसका उचित अनुश्रवण हो सके।

7. **श्रीमती हीरा देवी** ग्राम–भौर्सा तहसील व जिला–नैनीताल– श्रीमती हीरा देवी कहा गया कि गांव में जंगली जानवरों तथा आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुचाया जा रहा है। तद्क्रम में पर्यावरण सलाहकार बताया गया कि आवारा पशुओं हेतु उचित सैड़ का प्राविधान किया जायेगा।

8. **श्री लक्ष्मी दत्त पलडिया** ग्राम–भौर्सा तहसील व जिला–नैनीताल– श्री पलडिया द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में धूल तथा नदी में गंदगी की समस्या होने से क्षेत्र में मलेरिया एवं हैजा जैसी संक्रामक बीमारियों की संभावना बनी रहती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा शौचालयों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

9. **श्रीमती लीलावती देवी** ग्राम–भौर्सा तहसील व जिला–नैनीताल– श्रीमती लीलावती देवी कहा गया कि क्षेत्र में डैम के कार्य हेतु स्थापित स्टोन क्रेशर से समस्या उत्पन्न हो रही है।

तद्क्रम में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ0प्र0नि0बोर्ड द्वारा पुनः अन्य उपस्थित लोगो से सुझाव व मौखिक/लिखित में देने को कहा गया। अंत में अन्य टीका टिप्पणी सुझाव प्राप्त न होने पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया। उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

संलग्नक–यथोपरि।

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उ0प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी।

(वरूणा अग्रवाल)
संयुक्त मजिस्ट्रेट
जिला–नैनीताल

मै० कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल०एल०पी० द्वारा ग्राम- भौर्सा तहसील व जनपद- नैनीताल में रेत बजरी, बोल्डर खनन परियोजना (क्षेत्र० 5.0 है०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थिति का विवरण :-

सुनवाई स्थल :- निकट परियोजना स्थल
समय एवं तिथि - दिनांक 27 मार्च 2025

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	वरुणा अग्रवाल	संयुक्त मजिस्ट्रेट	[signature]
2.	हरीश चन्द्र जोशी	सहा० वैज्ञा० अधिकारी उ०प्र०नि० बोर्ड हल्द्वानी	[signature]
3.	भुवन जोशी	पर्यावरण सलाहकार	[signature]
4.	चन्द्रवल्लभ जोशी	मनु० सहायक उ०प्र०नि०बोर्ड हल्द्वानी	[signature]
5.	प्रदीप रावत	मै० कैलाश रिवर बैड मिनरल्स	[signature]
6.	पूरन शर्मा	भौर्सा	पूरन शर्मा
7.	भुवन चन्द्र पलड़िया	भौर्सा	[signature]
8.	Vinay Kumar	M/s Kailash River Bed Min	[signature]
9	Jaya Bisht Bhakuni	R.S.I Ramil	[signature]
10	Rajendra Sharma	Ranibagh	[signature]
11.	NARAYAN DATT	BHORSHA	[signature]
12	पूरन पाण्डे	खसरानी	[signature]
13	Tanam	भौर्सा जमरानी	[signature]
14	रमेश पलड़िया	भौर्सा जमरानी	[signature]
15	केशवदत्त	रौखिल (जाला)	[signature]
16	त्रिलोचन पलड़िया	स्वदरीखान	त्रिलोचन
17	उर्वादत्त	अमोड़ानी	उर्वादत्त
18	Ramesh	Jamrani	[signature]
19	साहिल	कैलाश भौर्सा	[signature]
20	संदीप		Sandeep
21	Chandan Singh Mahara	Haldwani	Chandan
22	मुकेश उपाध्याय	हल्द्वानी	[signature]
23	कृपाल	भौर्सा	[signature]
24	विनोद कुमार	कैलाश रिवर बैड मिनरल्स	[signature]
25	मुकेश पलड़िया	ग्राम- भौर्सा	[signature]

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
	मोनिय	मौसी	मोनिय
28	कपिल	औटैली	कपिल
29	सुरेश	अमिया	सुरेश
30	शिव	चोरगोया	शिव स्व
31			
32			

जन सुनवाई
खनन परियोजना- मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एलएलपी
ग्राम- भौर्सा, तहसील एवं जिला नैनीताल
रेता, बजरी, बोल्डर खनन/चुगान, गौला नदी (क्षेत्रफल 5.00 है0)
सुनवाई स्थल- परियोजना स्थल
समय एवं तिथि- प्रातः 11:00 बजे, दिनांक- 27 मार्च, 2025
पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक- क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलोनी- हल्द्वानी (नैनीताल) 263139
परियोजना प्रस्तावक- कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एलएलपी पर्यावरण सलाहकार- ईको पर्यावरण लैबोरेटरीज एण्ड कंसलटेन्टस प्रा0 लि0

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड